यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रृटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान अल्मोडा** के माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव तथा श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2016 से 16.12.2016 तक श्री हनुमान सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखपारीक्षा श्री विनीत निगम तथा श्री अरिनंदम चटर्जी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23/01/2015 से 04/02/2015 तक श्री रणवीर सिंह चौहना वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में द्वारा संपादित किया गया था जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- अल्मोडा जनपद में छः खण्डों (अल्मोडा नगर, हवालबाग, भैसिंयाछाना, लमगडा, धौलादेवी और ताकुला) में जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था में सुधार किये जाने का कार्य किया जाता है।
3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)
4. अल्मोडा जलपद में छः खण्डों (अल्मोडा नगर, हवालबाग, भैसिंयाछाना, लमगडा, धौलादेवी और ताकुला) में जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था में सुधार किये जाने का कार्य किया जाता है। जल संस्थान में एन0आर0डी0डब्लू0पी0 (केन्द्रपुरोनिर्धारित योजना), राज्य योजना, जिला योजना, दैवीय आपदा एवं डिपॉजिट वर्क के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**		
2013-14	23.63	319.39	435.16	430.00	1917.78	1975.78	-	290.18
2014-15	28.79	261.39	510.93	486.92	1800.30	1587.26	-	527.23
2015-16	52.80	474.43	628.20	576.82	1457.26	1528.21	-	453.66

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य	बचत
2013-14	एन0आ0डी0डब्लू0पी0	82.04	116.23	177.05	21.26
2014-15	एन0आ0डी0डब्लू0पी0	21.26	38.72	34.41	25.57
2015-16	एन0आ0डी0डब्लू0पी0	25.57	39.93	33.40	32.10

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण आंकित किया जाय।

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई केन्द्र, राज्य और जिला योजना की राशि शासन से आबंटित होती है, जो इकाईयों को कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड देहरादून के माध्यम से अवमुक्त की जाती है। तथा इकाई ए श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. मुख्य महाप्रबन्धक 3. महाप्रबन्धक 4. अधिशासी अभियन्ता

(iv) (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान अल्मोडा** एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देश के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा. केन्द्र, बेरीनाग (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो से अंकित किया जाय)

की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 01/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

1. खत्याडी एवं गोलनाकरडिया में मिली नलकूप का अधिष्ठान
2. अल्मोडा सीवर योजना में मरम्मत एवं रखरखाव का क्राय
3. केन्द्र पुरोनिर्धारित, राज्य परियोजना, जिला परियोजना एवं दैवीय आपदा से सम्बन्धित योजनायें

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 : गोलनाकरडिया मे मिनी ट्यूबवेल के स्थापन हेतु पहुँच मार्ग (approach road) का प्राविधान न किए जाने के कारण रु 31.96 लाख की धनराशि का अवरुद्ध रहना एवं खत्याड़ी में मिनी ट्यूबवेल के स्थापन में रु 19.20 लाख का व्ययाधिक्य।

इकाई द्वारा ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट से निपटने हेतु अल्मोड़ा में दो स्थलों खत्याड़ी एवं गोलनाकरडिया पर मिनी ट्यूबवेल के स्थापन हेतु वर्ष 2012-13 में प्राकलन गठित किया गया था। दोनों मिनी ट्यूबवेल द्वारा पेयजल के संकट से ग्रस्त बस्तियाँ खत्याड़ी, सरकार की आली, इंद्रा कालोनी, न्यू इंद्रा कालोनी, देवी मंदिर, मकीड़ी, गोलनाकरडिया आदि क्षेत्रों को लाभान्वित किया जाना था। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत दोनों मिनी नलकूप स्थापन हेतु रु 85.17 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी और साथ ही शासन द्वारा पूर्ण धनराशि एकमुश्त अवमुक्त कर दी गई थी (जुलाई 2013)। स्वीकृत धनराशि रु 85.17 लाख मे से ` 26.26 लाख खत्याड़ी मिनी ट्यूबवेल एवं रु 51.16 लाख गोलनाकरडिया मिनी ट्यूबवेल की लागत थी और शेष धनराशि रु 7.742 लाख इकाई का सेंटेज था।

इकाई के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिनी ट्यूबवेल के आगणन के तैयार/ स्वीकृत कराये जाने के समय गोलनाकरडिया मे मिनी ट्यूबवेल के स्थापन हेतु पहुँच मार्ग (approach road) का प्रविधान नहीं किया गया था। जबकि इकाई द्वारा बाद में जुलाई 2014 में पहुँच मार्ग के लिए रु 15.95 लाख का आगणन तैयार कर अधीक्षण अभियंता को भेजा गया था। जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ था। पहुँच मार्ग के बिना चिन्हित स्थल (बख गदेरे के पास) तक बोरिंग मशीन नहीं पहुँच सकी और लेखा परीक्षा तिथि (नवंबर 2016) तक इस स्थल पर न तो कोई कार्य कराया जा सका न ही इस स्थल के लिए मिनी ट्यूबवेल हेतु स्वीकृत धनराशि में से व्यय किया जा सका था और धनराशि अव्ययित/ अवरुद्ध पड़ी हुई थी। और जिन दरों से आगणन तैयार किया गया था वह दरें मई 2012 से प्रभावित थी एवं नवंबर 2016 तक कार्य प्रारम्भ न किए जाने से time over run के कारण cost over run से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि कुल अवमुक्त धनराशि रु 85.17 लाख के सापेक्ष रु 45.46 लाख व्यय करके खत्याड़ी में मिनी ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया था (फरवरी 2016) जबकि स्वीकृत आगणन के अनुसार इस कार्य हेतु रु 26.26 लाख ही आवंटित/ स्वीकृत थे। इसप्रकार रु 19.20 लाख अधिक (73%) व्यय किए गए थे। यह अधिक व्यय गोलनाकरडिया मे मिनी ट्यूबवेल हेतु आवंटित धनराशि से किया गया था। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर - 316 (2) के अनुसार कार्य की लागत में 10 प्रतिशत की बृद्धि या संभावना होने पर आगणन को पुनरीक्षित कराया जाना चाहिए या पुनः प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी चाहिए थी। और यह भी पाया गया की इकाई द्वारा न तो variation statement तैयार किया गया था न ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई थी।

इसप्रकार गोलनाकरडिया मे मिनी ट्यूबवेल हेतु पहुँच मार्ग का प्रविधान न किए जाने के कारण न केवल रु 31.96 (51.16-19.20) लाख की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी बल्कि पेयजल के संकट से ग्रस्त बस्तियाँ देवी मंदिर, मकीड़ी, गोलनाकरडिया आदि को लाभान्वित नहीं किया जा सका था। साथ ही इस कार्य की लागत में बृद्धि (Cost Over Run) से भी इंकार नहीं किया जा सकता। और खत्याड़ी मिनी ट्यूबवेल में वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रविधानों के अनुसार स्वीकृति न लेते हुए रु 19.20 लाख का अधिक व्यय किया गया था।

लेखपरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा गोलनाकरडिया मिनी ट्यूबवेल के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए बताया गया कि पहुँच मार्ग स्वीकृत कराये जाने हेतु तदसमय त्रुटिबस संज्ञान में नहीं लिया जा सका था एवं खत्याड़ी मिनी ट्यूबवेल के संबंध में बताया गया कि अधिक व्यय कार्यस्थल की आवश्यकता को देखते हुए किया गया और संशोधित प्राकलन गठित किया गया है। खत्याड़ी मिनी ट्यूबवेल के संबंध में इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अधिक व्यय किए जाने से पूर्व पुनरीक्षित प्राकलन गठित कर स्वीकृत कराया जाना था।

अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-2 जलमूल्य बकायेदारो की लम्बित वसूली ₹ 133.87 लाख।

जल संस्थान पेयजल एवं सीवरेज एक्ट 1975 के पैरा 72 के अन्तर्गत तथा विभाग द्वारा निर्गत नोटिस में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि यदि देयक जारी होने के 15 दिनों के अन्दर बकायेदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो जल संस्थान सम्बन्धित उपभोक्ता का जल संयोजन विच्छेदित कर देगा। तथा बकाया धनराशि की वसूली भूराजस्व की भॉति रिकवरी सरिटिफिकेट निर्गत करके की जायेगी। तथा इस प्रक्रिया से वसूली होने पर 10 प्रतिशत कलैक्शन चार्जेज के रूप में अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करना था।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के निरीक्षण में निम्नलिखित केन्द्रों में जल मूल्य जमा न किये जाने के परिणामस्वरूप निम्नवत स्थिति पायी गयीः-

(₹ लाख में)

केन्द्र का नाम	वसूली योग्य शेष राशि	5000/- से अधिक जल मूल्य वसूली योग्य प्रकरण जिसमें वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना था	
		सं0	राशि
अल्मोडा नगर	96.85	174	79.62
धौलादेवी	10.15	42	7.31
हवालबाग	15.13	45	13.10
भैंकियाछाना	4.49	27	2.88
लमगडा	3.85	20	2.15
ताकुला	3.40	18	3.03
कुल राशि	133.87	326	108.09

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि डोर टू डोर वसूली की जा रही है उपभोक्ताओं को नोटिस भी दिये जा रहे है। वर्ष 2014-15 में 41 आर0सी0 ₹ 4.07 लाख की एवं वर्ष 2015-16 में 12 आर0सी0 ₹ 1.61 लाख की काटी गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा ₹ 108.09 लाख के ऐसे उपभोक्ता जिनके उपर पांच हजार से अधिक की वसूली लम्बित थी, में विगत दो वर्षो में मात्र ₹ 5.68 लाख के वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये जो वसूली की राशि का मात्र 5 प्रतिशत थी।

अतः जल मूल्य बकायेदारो की लम्बित वसूली की राशि ₹ 133.87 लाख का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-3 लक्ष्य के सापेक्ष कुल 73.00 लाख की कम वसूली होना।

नियमानुसार विभाग स्तर पर निश्चित किये गये राजस्व लक्ष्य (वसूली) को उसी वर्ष में प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे वेतन, ए0आर0एम0 (Allowance Hotel Maintenance) मद में घनांवटन किये जाने की कठिनाई न हो तथा वसूली अवशेष रहने की दशा में RC जारी कर वसूली की जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, अल्मोडा के वर्ष 2014-15 व 2015-16 के जलमूल्य, मीटर किराया सीवर टैक्स आदि मदों के अन्तर्गत सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष वसूली निम्नानुसार रही हैः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	कुल वसूली	लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली	कम वसूली का प्रतिशत
2014-15	445.964	278.219	67.745	15.19%
2015-16	417.590	412.308	5.282	1.26%
	863.554		73.027	

इस प्रकार इकी द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में लक्ष्य के सापेक्ष कुल ₹ 73.00 लाख की कम वसूली की।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रति उत्तर में बताया गया कि उपभोक्ताओ की और से वसूली वर्ष 2014-15 व 95.51% व वर्ष 2015-16 में 99.05% प्रतिशत रहा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कुल लक्ष्य ₹ 863.554 के सापेक्ष कुल ₹ 73.00 लाख की वसूली कम हुई।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के क्रियाशील न होने के कारण सीवरेज योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओ से की गयी वसूली ₹ 7.23 लाख एवं उसके मरम्मत आदि पर किया गया ₹ 28.91 लाख का अलाभकारी व्यय।

अल्मोडा जलोत्सरण योजना जोन-1 के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट योजना की स्वीकृति लागत ₹ 615.18 तथा अवमुक्त लागत ₹ 614.18 लाख थी। तथा इस पर व्यय राशि ₹ 614.11 लाख थी। जिसको माह मार्च 2011 को जल संस्थान को हस्तगत किया गया था। वर्ष 2011 से वर्तमान तक कुल 595 सीवर संयोजन जल संस्थान द्वारा किया जा चुका था। तथा इस सीवर संयोजन के मरम्मत हेतु वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक विभाग को ₹ 28.91 लाख राशि प्राप्ति हुयी थी, जिसका सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा कर दिया गया था। साथ ही सीवरेज संयोजन हेतु उपभोक्ताओं से वर्ष 2015-16 तक ₹ 7.23 लाख वसूल भी किया गया था।

अभिलेखो के निरीक्षण में पाया गया कि सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की लॉग बुक और मीटर रीडिंग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं था, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्लाण्ट आरम्भ से ही क्रियाशील नहीं था।

विभाग से पूछने पर बताया गया कि प्लाण्ट आंशिक रूप से क्रियाशील होने के कारण लॉग बुक एवं मीटर रीडिंग मेनटेन नहीं की गयी। तथा पूर्ण रूप से क्रियाशील किये जाने हेतु विभाग द्वारा ₹ 77.40 लाख की प्राक्कलन प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु सचिव जल संस्थान को प्रेषित किया गया है। जिसकी स्वीकृति वर्तमान तक लम्बित थी।

अतः लॉग बुक एवं मीटर रीडिंग मेनटेन न करना तथा मरम्मत हेतु ₹ 77.40 लाख का प्राक्कलन प्रेषित करना इस बात की पुष्टि करता है कि प्लाण्ट आरम्भ से ही क्रियाशील नहीं था। जहां एक ओर अक्रियाशील प्लाण्ट को जल संस्थान द्वारा हस्तगत कर लेना न केवल अलाभकारी निर्णय था, वहीं दूसरी ओर हस्तगत के पश्चात उपभोक्ताओं से सीवर संयोजन हेतु वसूल की गयी राशि ₹ 7.26 लाख तथा सीवर के मरम्मत पर किये गये व्यय की राशि 28.91 लाख भी अलाभकारी था।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः2 ₹ 11.44 लाख की धनराशि बिना कार्य के फर्मों एवं कर्मचारियों के पास अवरूद्ध रहना।

इकाई की विभिन्न योजचना संचालन हेतु वर्ष 2012-13 में ₹ 3.95 लाख की धनराशि का अग्रिम भुगतान फर्मो को किया गया था। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि फर्मों को किया गया भुगतान माह 11/2016 तक इकाई स्तर पर असमायोजित पडा हुआ था। फर्मों की स्थिति जिनके पास असमायोजित राशि पडी हुयी थी निम्नानुसार थीः-

1. बतरा आटो स्टोर हल्द्वानी ₹ 820/-
2. यू0पी0 सीमेण्ट कारपोरेशन बरेली ₹ 357472/-
3. अग्रवाल गैस एजेन्सी हल्द्वानी ₹ 3000/-
4. यू0पी0 हिल्स भीमताल ₹ 2540/-
5. नैना इलै0 गुडगाँव हरियाणा ₹ 365/-
6. मैसर्स हिन्दुस्तान एवरेस्ट ₹ 803/-
7. पावर लिंक दिल्ली ₹ 1500/-
8. अधिशासी अभियंता नगर पालिका अल्मोडा ₹ 28000/-

उक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ₹ 7.49 लाख की राशि का अग्रिम कर्मचारियों के विरुद्ध विगत पाँच वर्षों से असमायोजित पडा हुआ था। जिसके समायोजन की कार्यवाही भी लम्बित थी।

इकाई द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि संबंधित फर्मो एवं संबंधति कर्मचारियों के कार्यालय एवं क्रमचारियों के साथ पत्राचार किया गया है। वसूली की कार्यवाही शीघ्र ही कर ली जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रकरण लगभग पांच वर्ष से लम्बित था तथा वर्तमान तक कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

अतः ₹ 11.44 लाख की धनराशि बिना कार्य के फर्मों के पास अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
2010-11/05/AB	1,2	1,2,3
2014-15/165/SS	00	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
समस्त अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को संस्तुति हेतु प्रेषित की गई है, जिसके कारण लेखापरीक्षा दल द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सका।				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-पाँच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	जे0जी0एस0मेहता	अधिशासी अभियंता	01/08/2013 से 30/06/2014
2	नन्द किशोर	अधिशासी अभियंता	01/07/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.